

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -135/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता राजस्थान प्रथम, जयपुर
हाल—सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड—प्रथम, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान,
वृत्त प्रथम, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शंकु ऑटो लिमिटेड,
कान्ति चन्द्र रोड, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के. बैद
उप राजकीय अधिवक्ता
कोई उपस्थित नहीं.....

.....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27/04/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी—विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 170/आरएसटी/1998—99/जी/2004—05 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता प्रथम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा)) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.1998 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रूपये 98,310/- को अपास्त कर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान दिनांक 19.03.1998 को वाहन संख्या एच.आर. 37/6209 को देहली रोड पर रोक कर चैक किया गया। वाहन में थी व्हीलर ऑटो रिक्षा अधिसूचित श्रेणी का माल लदा हुआ पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी श्री हरनेक सिंह को माल के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिसकी अनुपालना में उसके द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :— बिल्टी संख्या 95940 दिनांक 17.03.1993—दी जालन्धर एक्स सर्विस मैन मोटर ट्रांसपोर्ट को सोसायटी लि., कुल अंकित 4 नग चेसिस व 4 मिरर, डिलीवरी चालान दिनांक 16.03.1998 मैसर्स शंकु ऑटो लि. जालन्धर अंकित नग 4 ऑटो चेसिस "Not for sale branch officer trnafer" अंकित होना पाया गया। उक्त दस्तावेजों की जांच की गई व इस संबंध में माल प्रभारी के बयान लिये गये जिसमें उक्त दस्तावेजों के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज व “एस.टी. 18ए” फार्म प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की। चूंकि वाहन में संचालित माल थी व्हीलर ऑटो रिक्षा अधिसूचित श्रेणी का माल है जिसकी घोषणा फार्म “एसी.टी. 18ए” में नहीं की गई जबकि धारा 78(2)(क) के अन्तर्गत विहित घोषणा फार्म एस.टी.18ए में किया जाना कानूनी बाध्यता है। इस


लगातार.....2

प्रकार अधिसूचित माल को फार्म “एस.टी. 18ए” में घोषणा किये बिना राज्य में लाये जाने के आधार पर धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा माल का मूल्य रूपये 81,925/- प्रति वाहन गुणा 4 कुल रूपये 3,27,700/- पर 30 प्रतिशत की दर से रूपये 98,310/- शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रूपये 98,310/-, को समाप्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार की, जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रत्यर्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से विभागीय की बहस सुनी गई।
 4. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध होना स्पष्ट किया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
 5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष बहस की थी जिसका सांराश न्यायहित में यहां लिया जा रहा है। तदनुरूप परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी व समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये हुए थे। संलग्न बिल पर स्पष्ट रूप से उक्त माल “नोट फोर सैल” (बिकी हेतु नहीं) अंकित था अतः उक्त माल बिकी हेतु नहीं होने के कारण घोषणा प्रपत्र “एस.टी. 18ए” संलग्न नहीं किया गया था। लेकिन घोषणा प्रपत्र “एस.टी. 18ए” में भरी जाने वाली सभी सूचनाएं परिवहनित माल के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों में उपलब्ध थी। अतः व्यवसाई की किसी भी प्रकार की करापवंचना की मनोदशा सिद्ध नहीं होती है। शास्ति निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण की पूर्ण रूप से जांच किये बिना ही शास्ति का आरोपण किया है जो अविधिक एवं अनुचित है। अपने तर्कों के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों के निम्न उद्धरण भी प्रस्तुत किये थे :—

1. (2003) 7 टैक्स अपडेट 312 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, वार्ड—द्वितीय, एन्टीईवेजन, भरतपुर बनाम मैसर्स टाटा आयरन स्टील कम्पनी लि., सी—84, सी—स्कीम, जयपुर
2. (2004) 9 टैक्स अपडेट 125 (आरएचसी) डी.बी. मैसर्स पारसनाथ ग्रेनाईट बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य
3. 2002(1) आर.टी.आर. 126 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झूंगरपुर बनाम मैसर्स माणक इण्डस्ट्रीज, प्रतापगढ़, चित्तौडगढ़।
4. (1990) 7 आर.टी.जे.एस. 23 मैसर्स गणेश कोकरी
 प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से यह भी तर्क था कि दिनांक 22.02.2002 से पूर्व माल मालिक पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती केवल माल प्रभारी पर ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी पर आरोपित शास्ति अविधिक एवं अनुचित है जिसे अपास्त किया जाये। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निम्न दृष्टान्तों का अवलम्बन भी लिया गया था।
1. (2002) 1 आरटीआर 510 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता—द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स ओम कैटल फीडस इण्डस्ट्रीज, पिपाड सिटी

2. (2004)8 टैक्स अपडेट 321 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन भरतपुर बनाम मैसर्स महावीर एन्टरप्राईजेज, अलीगढ़।
6. विभागीय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उठाये गये तथ्यों तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया।
7. रिकॉर्ड पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ संलग्न डिलीवरी चालान पर स्पष्ट अंकित है "Not For Sale branch office transfer" इसके अलावा प्रस्तुत बिल्टी में प्रेषक का नाम मैसर्स ब्रांच ऑफिस सुकू ऑटो लिमिटेड जालन्धर एवं प्रेषिति का नाम मैसर्स ब्रांच ऑफिस सुकू ऑटो लिमिटेड जयपुर अंकित है। इसका तात्पर्य यह है कि यह माल राजस्थान में शाखान्तरण किया गया है। चूंकि व्यवहारी प्रत्यर्थी का प्रकरण दिनांक 19.03.98 को बनाया गया था तत्समय के नियम 53 की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है :-
53. Declaration required to be carried with the goods in movement for import – (1) A registered dealer (a) who imports any taxable goods, as notified by the State Government, for sale or for use in the manufacture or processing of goods for sale or for use in mining or generation or distribution of electricity or any other form of power or for packing of goods for sale; or (b) who receives any goods other than High and Light Speed Diesel Oil, Petrol and Aviation spirit consigned to him from outside the State for sale; shall furnish or cause to be furnished a declaration in form ST 18 A: However, form ST 18A....." चूंकि उक्त परिवहनित माल ब्रांच ट्रांसफर तो हुआ था परन्तु विक्रयार्थ नहीं था, जो कि रिकार्ड व बिल से पूर्णरूपेण स्पष्ट है। अतः ऐसी स्थिति में माल विक्रयार्थ स्थानान्तरित नहीं था ऐसी स्थिति में परिवहनित माल के लिये एस.टी. 18ए की अनिवार्यता नहीं थी। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों यथा डिलीवरी चालान व बिल्टी आदि को झूठा व असत्य साबित नहीं किया बल्कि घोषणा पत्र की अनिवार्य होने की आवश्यकता के आधार पर ही प्रकरण बनाया गया था चूंकि उक्त परिवहनित वस्तु पर राजस्थान विक्रय कर नियम 1955 के नियम 53 के तहत विक्रय हेतु प्रेषण नहीं होने से तत्समय आवश्यकता नहीं थी। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।
8. उपरोक्त विवेचनानुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
आदेश प्रसारित गया।



(मदन लाल)
सदस्य